न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 51/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00095)

1. शिवदान पुत्र चन्दा जाति गुर्जर, निवासी गाडन्डी, तहसील बसवा, जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. बरजी पत्नि धन्ना
2. विजयसिंह पुत्र धन्ना
3. गोविन्द पुत्र धन्ना
4. हरिसिंह पुत्र धन्ना
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी गाडन्डी, तहसील बसवा, जिला दौसा।
5. ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान, तहसील बसवा, जिला दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान, जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा राज0।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा निर्णय दिनांक 25.06.2018 जो नामान्तकरण अपील संख्या 7/2017 उनवानी शिवदान बनाम बरजी पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 28.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गुजरान, तहसील बसवा द्वारा नामान्तकरण संख्या 24 पर पारित निर्णय दिनांक 30.07.1969 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 25.06.2018 द्वारा अपील खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 25.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट शिवदान पुत्र चन्दा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा का निर्णय दिनांक 25.06.2018 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गुजरान द्वारा नामान्तकरण संख्या 24 पर पारित निर्णय दिनांक 30.07.69 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जो चल रही थी। जिस पर बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना व बिना अपीलान्ट को उपस्थित आये बिना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने दिनांक 25.06.2018 को उक्त अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कथनों को समझे बिना अपीलान्ट द्वारा अपील में लिखे गये तथ्यों को पढे बिना नोन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

स्पीकिंग आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए था और निर्णय में यह स्पष्ट लिखना चाहिए था कि अपील को खारिज करना क्यो उचित समझते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी फाइन्डिंग दिये बिना अपना निर्णय पारित कर दिया। नामान्तकरण को देखने से ही स्पष्ट जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट चन्दा के वारिस नहीं थे बल्कि धन्ना के वारिस थे किन्तु नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को चन्दा का वारिस मानकर तस्दीक किया गया था। वादग्रस्त भूमि व मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा चन्दा का वारिस भी अपीलान्ट है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातों पर गौर किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 25.06.2018 को निरस्त करने एवं तस्दीक नामान्तकरण को विधिवत वारिसान की जॉच हेतु रिमान्ड फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नजीरें पेश की गई। प्रस्तुत नजीरें 2023(1) आर.आर.टी 247, 2024(1) आर.आर.टी. 225, 2018(2) आर. आर.टी. 864, 2018 आरबीजे 676 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। जिनमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका हो। पत्रावली की क्रमिक टिप्पणी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में मात्र दो रेस्पोडेन्टस द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा (Compromise) नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा पारित आदेश आख्यापक (speaking) तथा सकारण (Reasoned) भी नहीं है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को पुनः साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का समग्र मूल्यांकन एवं विवेचन पश्चात पुनः आख्यापक (speaking) तथा सकारण (Reasoned) निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को पुनः साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का समग्र मूल्यांकन एवं विवेचन पश्चात पुनः आख्यापक (speaking) तथा सकारण (Reasoned) निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर